77/2017 सरकार वि/स धुड़ाराम

9.6.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2017 मे अटल सेवा केन्द्र भुंका भगतसिंह मे पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। विप्रार्थी का नोटिस पुत्र से तामिल होकर प्राप्त हुआ हैं। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी बावजुद सुचना के हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित रकबानुसार मौके पर आमजन द्वारा आने जाने हेतु रास्ता उपयोग में ले रहे है। और मौके पर सड़क भी बन हुई हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबे का गैर मुमकिन रास्ते का अंकन नही है। जबकि रास्ते में अंकन होना आवश्यक हैं अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रकबा अनुसार भुमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमावें। हमने प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया और पत्रवाली का अवलोकन किया जिसमें पाया कि विप्रार्थी जो विवादित भुमि का खातेदार हैं। जो बावजुद सूचना के हाजिर नही हुए। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित रकबानुसार मौके पर सड़क चल रही है। यदि प्रस्तावित रकबानुसार सड़क नही चल होती तो विप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नही किया गया। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रस्तावित रकबानुसार भुमि का गैर मुमकिन रास्ते में उपयोग लिया जा रहा है। जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। आदेश आज दिनांक 9/6/17 को मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) 9/6/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
—न्याय आपके द्वार 2017
रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ)सिणधरी

(पीठीसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प—अटल सेवा केन्द्र भुंका भगतसिंह

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 306 दिनांकः—09.06.2017

मु.सं.:—77/2017

—::आदेश::—

श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205—40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि **राजस्व ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070—2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी मे दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130,131 एवं 136 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत **राजस्व ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां** तहसील सिणधरी की निम्नांकित प्रस्तावित रकबे को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी मे रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		लम्बाई व चौडाई गट्टों में	
					रकबा	किस्म	लम्बाई	चौडाई
1	धूड़ाराम वल्द पनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहनः—एस.बी.बी.जे.शाखा दाखां	97	65-11	बा.सो.	0-12	बा.सो.	110	2

(नाथुसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
दिनांक 09.06.2017

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 307—08

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner